एक नजर

स्मार्ट मीटर दिला रहे घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि में खपत की छूट

इंदौर। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितर । कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर परियोजना का अत्यंत प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है। उज्जैन संभाग के शहरी क्षेत्रों में अब तक 3.87 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर भी उज्जैन शहर व उज्जैन जिले में ही स्थापित हुए हैं। पहली बार सामान्य घरेलू उपभोक्ता जिनके यहां स्मार्ट मीटर लगा हैं, इन उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि यानि 9 से 5 बजे की खपत पर टाईम ऑफ द डे छूट मिली हैं। टाइम ऑफ द डे छूट एनर्जी चार्ज पर बीस फीसदी प्रदान की जाती हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितर । कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में 1.21 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर रतलाम जिला हैं, जहां 1.10 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। इसके बाद देवास जिले में 59500, नीमच 37500, मंदसौर 28500, शाजापुर 23000, आगर जिले के नगरों में अब तक 7800 उपभोक्ताओं के यहां अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। श्री सिंह ने बताया कि ये स्मार्ट मीटर जहां पावर फैक्टर छूट दिला रहे हैं, वहीं इस वित्तीय वर्ष से सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि में की गई बिजली खपत पर भी निर्धारित छूट दिला रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि मालवा और निमाड में वर्तमान में करीब बारह लाख स्मार्ट मीटर स्थापित होने को हैं।

जॉब दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी

इंदौर (नप्र)। इंदौर में जॉब दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी के मामले में हीरानगर पुलिस ने एक निजी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पीड़ित से रकम ली और न नौकरी दी, न ही पैसे लौटाए। बाद में दिए गए चेक की बैंक ने पेमेंट रोक दी, जिससे मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार, भवानी नगर निवासी प्रेम कुमार ने शिकायत में बताया कि जुलाई 2024 में उनकी पहचान सरिता नामक महिला के जरिए सचिन तिवारी से हुई थी। सरिता ने बताया था कि सचिन को अपनी कंपनी सर्च इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों की जरूरत है। बातचीत में सचिन ने खुद को डायरेक्टर बताया और कहा कि उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। सचिन ने प्रेम को वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया, जिसमें 20 हजार रुपए सैलरी और 7 हजार रुपए इंसेंटिव देने की बात कही।

कार में लगी आग

इंदौर। शुक्रवार शाम को बायपास स्थित बेस्ट प्राइज के सामने अचानक एक कार में आग लग गई।

चार चोरों से मिला 75 लाख का माल

10 दिन में 4 घरों को बनाया निशाना, सोने-चांदी के जेवर, महंगी घड़ियां बरामद

इंदौर (नप्र)। राजेन्द्र नगर पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा है। चोरों के पास से करीब 75 लाख का माल बरामद हुआ है। आरोपियों ने 10 दिन के अंदर ही 4 घरों से यह माल चुराया था। पकड़ाए आरोपियों में से एक आरोपी बडनगर में लूट के एक मामले में तीन साल से फरार है। उस पर वहां की पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है।

डीसीपी विनोद मीणा की टीम ने चोरी के मामले में इशाक पुत्र शकूर खान, निवासी ग्राम कनारदी तराना उज्जैन, शैलेंद्र पुत्र बाबूलाल सोलंकी, निवासी लसूडिया, विकास उर्फ बंटी मीणा, निवासी सिविल लाईन कॉलोनी देवास और संजय उर्फ हाइड्रा मालवीय, निवासी अयोध्या बस्ती सोनकच्छ को पकड़ा है।

पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से करीब 200 ग्राम सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के जेवर, मंहगी घड़ियां, एक बुलेट

और चोरी के लिए उपयोग करने वाली कार बरामद की है। आरोपी कार से रेकी कर रात में सूने घरों को निशाना बनाते थे। पिछले दिनों एक चोरी के बाद आरोपियों की कार का नंबर पुलिस को मिला था। इसके बाद आरोपियों की जानकारी निकालकर उन्हें दबोचा गया।

डीसीपी ने मीडिया को दी हुई जानकारी में बताया कि इशाक पर 5 अपराध दर्ज हैं। जिसमें एक उज्जैन और 4 पूर्व में राजेन्द्र नगर में ही दर्ज हैं। वहीं विकास उर्फ बंटी पर करीब 14 अपराध दर्ज हैं। शैलेंद्र पर 4 और संजय पर 5 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

कुएं में गिरा तेंदुआ

रालामंडल वन विभाग की टीम ने बचाया; पिंजरे में रखकर कुछ समय करेंगे निगरानी

इंदौर (नप्र)। वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) योगेश यादव ने बताया कि इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर दतोदा गांव के एक खेत के कुएं में तेंदुआ गिर गया था और ग्रामीणों की भीड़ इसके आस-पास जमा हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने पर बचाव दल भेजकर तेंदुए को पानी से भरे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

रेंजर योगेश यादव ने बताया-तेंदुए को इंदौर के चिड़ियाघर लाकर पिंजरे में कुछ समय के लिए निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। गर्मी बढ़ने पर तेंदुए भोजन और पानी की तलाश में जंगल से भटक कर मानवीय बसाहटों के पास आ जाते हैं। जू क्यूरेटर निहार पारूलेकर ने बताया कि वन विभाग ने शुक्रवार को एक तेंदुए का रेस्क्यू किया है। वे उसे लेकर आए थे, वह फीमेल है। जिस कुएं में तेंदुए गिरा था, वह बहुत गहरा बताया जा रहा है। तेंदुए का निरीक्षण कर लिया गया है। उसे किसी भी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। निरीक्षण करने के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ने के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है।

एसडीपीसी का निशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर 25 मई को

इंदौर। एसडीपीसी की ओर से 25 मई को निशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर रविवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बफार्नी धाम के सामने माथुर वैश्य भवन में आयोजित है। शिविर में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. महेश साहू की टीम अपनी सेवाये देगी। मीडिया प्रभारी प्रवी । जोशी ने बताया कि शिविर में कमर दर्द, जोड़ो का दर्द, लकवा, स्लीप डिस्क, सिरदर्द, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, चक्कर आना, माईग्रेन, घुटने में गेप का कम होना, सेरेबल पाल्सी, सभी तरह की स्पोर्टस इंजरी, हाथ एवं पैरों में झुनझुनी आदि की जाँच कर मरीजो को चिकित्सा परामर्श दिया जायेगा।

पड़ोसी ने धमकाकर किया रेप

शादीशुदा महिला के फोटो लेकर ब्लैकमेल, जबरदस्ती संबंध बनाने का

इंदौर (नप्र)। बाणगंगा इलाके में एक महिला ने अपने पड़ोसी गोपाल पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह करीब दो साल से आरोपी के संपर्क में थी। शुरूआत में आरोपी ने महिला की कुछ तस्वीरें लेकर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया और बाद में जबरन संबंध बनाने की कोशिश की।

परेशान महिला ने यह बात अपने पति को बताई और गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाणगंगा पुलिस ने 25 साल की महिला की शिकायत पर आरोपी गोपाल पुत्र महादेव वैश के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के दो बच्चे हैं और उसका पति निजी काम करता है। आरोपी महिला का पड़ोसी है और दोनों के बीच पहले भी बातचीत होती रही है। आरोपी ने वॉट्सऐप पर संपर्क किया और बातचीत के दौरान एक-दो बार मिलने भी गए। इसके बाद आरोपी ने फोटो के जरिए धमकाना शुरू किया और जबरन संबंध बनाने की जिद्द करने लगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि पूर्व मे मेरा नाम लीना खेमानी था। जो की मेरे माता पिता ने बदलकर तमन्ना खेमानी कर दिया है। अतः अब से मुझे तमन्ना खेमानी के नाम से जाना व पहचाना जावे ! सो विदित हो

तमन्ना खेमानी
पत्ता 64 कैलाश, पार्क कालोनी
गीता भवन इन्दौर
मो. 8878879707

ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम पर ठग रहे थे रुपए

18 महीने में 50% मुनाफे का झांसा, इंदौर पुलिस ने पकड़ा फर्जी इन्वेस्टमेंट नेटवर्क

इंदौर (नप्र)। पलासिया पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसका साथी एश चार्जिंग स्टेशन के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन निवेश करवा रहे थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ मोबाइल एप बनवाया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर लोगों को जाल में फंसाया।

एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने बैकुंठधाम कॉलोनी स्थित अनोमल स्पेस की फ्लैट नंबर 202 पर कार्रवाई की। यहां आरोपी सिद्धार्थ मालवीय, अपने साथी उमेश सहाय के साथ मिलकर ऑफिस चला रहा था। ऑफिस में युवक-युवतियों से टेली कॉलिंग कराई जा रही थी, जिनके जरिए लोगों से निवेश के लिए संपर्क किया जाता था।

ईवी प्रोजेक्ट के नाम पर 40-50% मुनाफे का लालच- आरोपियों ने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रखी थी। कॉलर्स लोगों को बताते थे कि उनकी कंपनी की सरकार से टाय-अप है और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रोजेक्ट है। निवेश करने पर 18 महीने बाद 40 से 50 फीसदी तक का लाभ देने का दावा किया जाता था।

निवेश की शुरूआत 4,600 रुपए की पहली किश्त से होती थी, और योजना में 50 हजार रुपए तक निवेश का विकल्प दिया गया था। इस पूरे काम के लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया था, जिसे प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया था।

मलखंब खिलाडी कु. सुहानी खमरोला का चयन खेलों इंडिया बीच में

इंदौर। जिले की मलखंभ खिलाडी कु. सुहानी खमरोला का चयन मध्य प्रदेश टीम में हुआ है। यह टीम बीच गेम्स दीप में भाग लेगी। कोच संतोष राठौर ने बताया कि सुहानी पूर्व में भी खेलों एमपी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर चुकी है। इस उपलब्धि पर पुलिस उपायुक्त प्रकाश परिहार सहित अन्य अधि कारियो ने सुहानी को बधाई दी।

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ताहेर (TAHER) पिता अब्बास अली (ABBAS ALI) था अब मेने मेरा नाम परिवर्तित कर नया नाम ताहेर ठाकरा वाला (TAHER THAKRAWALA) पिता अब्बास अली (ABBAS ALI) रख लिया है अब से मुझे मेरे नए नाम ताहेर ठाकरा वाला (TAHER THAKRAWALA) पिता अब्बास अली (ABBAS ALI) के नाम से जाना एवं पहचान जावे।

नया नाम
ताहेर ठाकरा वाला (TAHER THAKRAWALA)
पिता अब्बास अली (AbbAS ALI)
जवाहर मार्ग, नागदा जिला उज्जैन

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रशिदा (RASHIDA) पति अब्बास अली (ABBAS ALI) था। अब मेने मेरा नाम परिवर्तित कर नया नाम रशिदा अली (RASHIDA ALI) पति अब्बास अली (ABBAS ALI) रख लिया है अब से मुझे मेरे नए नाम रशिदा अली (RASHIDA ALI) पति अब्बास अली (ABBAS ALI) के नाम से जाना एवं पहचान जावे ।

नया नाम - रशिदा अली (RASHIDA ALI)
पति अब्बास अली (ABBAS ALI)
जवाहर मार्ग, नागदा जिला उज्जैन

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार ने श्री नरेश अगनानी पिता श्री चन्द्रकांत अगनानी निवासी 10-सी, रतलाम कोठी, इन्दौर म.प्र. के स्वामित्व एवं आधिपत्य का व्यवसायिक प्रकोष्ठ शहर इंदौर के महात्मा गांधी मार्ग यहां पर म्यु.पा. नंबर 570 पर निर्मित बहुमंजिला भवन सिटी सेंटर पैकि द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 202 जिसका सुपर बिल्टप एरिया 585 वर्गफीट व बिल्टप एरिया 468 वर्गफीट होकर उक्त सम्पत्ति को क्रय करने का सौदा किया होकर प्रतिफल बाबद आंशिक राशि अदा कर दी है। उक्त संपत्ति पर किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी का, गिरवी, बिक्री, रहन, कर्ज या अन्य किसी प्रकार का भार, बोझ, स्वत्व हो अथवा इस विक्रय व्यवहार में किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह इस जाहिर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 5 (पांच) दिन के अंदर मुझसे निम्न लिखित पते पर मय लेखी प्रमाण के आकर मिले या लिखित में सूचित करे, इस अवधि पश्चात किसी की आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारक नही रहेगी।
इन्दौर, दिनांक 23.05.2025

SANJAY HOLKAR & GAURAV HOLKAR (Advocate)
210, City Center IInd Floor, 570, M.G. Road, Indore M.P.
Mob. 98266-10900

UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY

pradhikaran Bhawan Bharatpuri Administrative Zone
Dewas Road Ujjain -456010
Email udaujjain@gmail.com Website-www.udaujjain.org
NIT No.UDA/ET42/25 Date 15-05-25

NOTICE INVITING TENDER

Online tenders are invited on percentage rate tender on key dates from the contractor registered under centralized e-registration system in MP PWD .Tender documents can be purchased and details can be seen on website https://www.mptenders.gov.in.Help manual to the contractors can be seen on the portel of e-procurement system.Ammendments to NIT,if any would be published on website of www.mptenders.gov.in.only and not in newspaper.

S. no.	Name of work	Probable amount of contract (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Const of Tender form + GST (Rs.)	Time Allowed
1	Construction of RCC Nalah,Sur face drain,Boun dary wall of Parks, Laying of Water Supply Line & Sewer Line at Kshipra Vihar Scheme Ujjain	4,96,33,231/-	496335	17700/-	12 Mont including Rainy season

Kelta (K.C.Patidar)
Executive Engineer UDA Ujjain

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/184/अ०क०री०/का0से0/2025 :: विज्ञप्ति :: इन्दौर, दिनांक. 23/5/2025

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम–सिमरोल, तहसील–डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला–इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की संशोधित अनुज्ञा दी जाती है :–

अ क्र	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स लॉयल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे पार्टनर श्री नैशाद खान पिता श्री छोटे खान पता–501, शालीमार टाउनशीप, ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम 'अमृत वैली'	ग्राम–सिमरोल, तहसील–डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला–इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 285/1 रकबा 0.0630 हे.. खसरा नंबर 285/2 रकबा 0.115 हे., खसरा नंबर 299/1/2 रकबा 0.350 हे., खसरा नंबर 299/4 रकबा 1.217 हे., खसरा नंबर 299/5/2 रकबा 0.0630 हे., खसरा नंबर 299/5/3 रकबा 0. 3420 हे., खसरा नंबर 304/3/2 रकबा 0.405 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 2. 555 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक पंजीकृत बंधकनामा क्रमांक MP179092023A11690529 दिनांक 04/04/.2023 से भूखण्ड क्रमांक 1, 40 से 50 तक, 52 से 57 तक, 74 से 81 तक, 84 से 90 तक, 122 से 124 तक, 146 से 152 तक कुल 43 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3500.19 वर्गमीटर बंधक रखे गये थे। तत्पश्चात संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर के संशोधन पत्र–क्रमांक INDOLP08092433401 दिनांक 13.01.2025 से स्वीकृत संशोधित अभिन्यास के आधार पर उक्त 43 भूखण्डों के स्थान पर संशोधित बंधकनामा पंजीकृत क्रमांक MP7IGR17512025A100242877 दिनांक 13.01. 2025 से भूखण्ड क्र. 10, 49 से 59 तक, 61 से 66 तक, 74 से 75 तक, 127 से 135 तक, 137 से 146 तक, 149 से 152 तक कुल 44 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3476 वर्गमीटर, भूमि बंधक रखे गये हैं।

उपरोक्त कालम नंबर–4 में उल्लेखित 44 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का कय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा।
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

अपर कलेक्टर जिला इंदौर

सार्वजनिक सूचना

आम जनसंघटन को सूचना दी जाती है कि हमारे मुवक्किल भूमि सर्व नंबर 517/2 रकबा 0.4000 हेक्टेयर में से 0.4000 हेक्टेयर, सर्व नंबर 517/3 रकबा 0.7000 हेक्टेयर में से 0.7000 हेक्टेयर, सर्व नंबर 517/4 रकबा 0.5000 हेक्टेयर में से 0.5000 हेक्टेयर, सर्व नंबर 518/2 रकबा 1.0000 हेक्टेयर में से 1.0000 हेक्टेयर स्थित ग्राम पल्दुना, तहसील व जिला रतलाम मध्यप्रदेश (विषयक सम्पति) को उसके मालिक भरतलाल पिता राजाराम धाकड़ निवासी ग्राम पल्दुना, तहसील व जिला रतलाम मध्यप्रदेश से लीज पर लेने के इच्छुक है। कोई भी कम्पनी/व्यक्ति सहित कोई बैंक या वितीय संस्थान, विषक सम्पतिया उसके किसी हिस्से के सम्बंध में कोई हक, स्वामित्व, दावा मांग या अधिकार रखता हो या दावा करता हो या किसी कम्पनी/व्यक्ति सहित किसी बैंक या वितीय संस्थान को कोई जानकारी हो या विषयक सम्पति के सम्बन्ध में किसी विक्रय, अदला-बदली, सुपुदर्शी, दान, पट्टा, विरासत, गिरवी, भार में पक्षकार हो, लम्बित कानूनी कार्यवाही, कब्जा समझौता, विकास का ज्यकार, साझेदारी, पारिवारिक समझौता, बंदोबस्त डिक्री या किसी अदालत द्वारा जारी आदेश, सरकार या किसी कम्पनी द्वारा अधिग्रहण, प्रतिबन्ध या किसी अन्य बाधा में पक्षकार हो तो ऐसी कम्पनी / व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन के तिथि से 07 (सात दिन) दिन कीअवधि के अन्दर निम्न वर्णित पते पर लिखित में नोटरीकृत दस्तावेजी सबूतों के साथ निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर सकते है, जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा कि किसी प्रकार को कोई प्रतिकूल हक, हिस्सा, स्वामित्व, अधिकार, हिस्सा, दावा या मांग विषयक सम्पति के सम्बन्ध में अस्तित्व में नहीं है और उपरोक्त वर्णित मालिकों का विषयक सम्पति पर पूर्ण, स्पष्ट और बाजार योग्य अधिकार एवं कब्जा है।
दिनांक 23.05.2025

राजेश पोरवाल (एडवोकेट)
चेम्बर न. 7, एडवोकेट चेम्बर्स, तल मंजिल
जिला न्यायालय परिसर, रतलाम मो. 9826391961

सार्वजनिक सूचना

आम जनसंघटन को सूचना दी जाती है कि हमारे मुवक्किल भूमि सर्व नंबर 516/2 रकबा 0.6800 हेक्टेयर में से 0.1247 हेक्टेयर स्थित ग्राम पल्दुना, तहसील व जिला रतलाम मध्यप्रदेश (विषयक सम्पति) को उसके मालिक बलदेव पिता राजाराम धाकड़, निवासी ग्राम पल्दुना, तहसील व जिला रतलाम मध्यप्रदेश से लीज पर लेने के इच्छुक है। कोई भी कम्पनी/व्यक्ति सहित कोई बैंक या वितीय संस्थान, विषक सम्पतिया उसके किसी हिस्से के सम्बंध में कोई हक, स्वामित्व, दावा मांग या अधिकार रखता हो या दावा करता हो या किसी कम्पनी/व्यक्ति सहित किसी बैंक या वितीय संस्थान को कोई जानकारी हो या विषयक सम्पति के सम्बन्ध में किसी विक्रय, अदला-बदली, सुपुदर्शी, दान, पट्टा, विरासत, गिरवी, भार में पक्षकार हो, लम्बित कानूनी कार्यवाही, कब्जा समझौता, विकास का ज्यकार, साझेदारी, पारिवारिक समझौता, बंदोबस्त डिक्री या किसी अदालत द्वारा जारी आदेश, सरकार या किसी कम्पनी द्वारा अधिग्रहण, प्रतिबन्ध या किसी अन्य बाधा में पक्षकार हो तो ऐसी कम्पनी / व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन के तिथि से 07 (सात दिन) दिन कीअवधि के अन्दर निम्न वर्णित पते पर लिखित में नोटरीकृत दस्तावेजी सबूतों के साथ निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर सकते है, जिसमें असफल होने पर यह माना जायेगा कि किसी प्रकार को कोई प्रतिकूल हक, हिस्सा, स्वामित्व, अधिकार, हिस्सा, दावा या मांग विषयक सम्पति के सम्बन्ध में अस्तित्व में नहीं है और उपरोक्त वर्णित मालिकों का विषयक सम्पति पर पूर्ण, स्पष्ट और बाजार योग्य अधिकार एवं कब्जा है। दिनांक 23.05.2025

राजेश पोरवाल (एडवोकेट)
चेम्बर न. 7, एडवोकेट चेम्बर्स, तल मंजिल
जिला न्यायालय परिसर, रतलाम मो. 9826391961

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खण्डवा
आम सूचना

क्रमांक :–873 / सं.प्र.शा. / 2025 खण्डवा दिनांक – 23 / 05 / 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित कालोनी किशोर नगर खण्डवा में स्थित भवन / भूखण्ड क्रमांक IS–124 मंडल द्वारा श्रीमती सुमित्रा बंसोड़ पति श्री श्यामलाल बंसोड़ के नाम नामांतरित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 26 / 10 / 2007 को पंजीकृत है। श्रीमती सुमित्रा बंसोड से उक्त संपत्ति श्री निखिल केसनिया पिता बंशीलाल केसनिया ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 14 / 05 / 2025 को अपने पक्ष में करा लिया है।

क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन शपथ पत्र / संयुक्त शपथ पत्र / विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री निखिल केसनिया पिता बंशीलाल केसनिया की ओर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तिय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही कि जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल, संभाग खंडवा

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खण्डवा
आम सूचना

क्रमांक :–874 / सं.प्र.शा. / 2025 खण्डवा दिनांक – 23 / 05 / 2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित कालोनी किशोर नगर खण्डवा में स्थित भवन / भूखण्ड कमांक SM–92 MIG मंडल द्वारा श्रीमती संध्या पति स्व. श्री सुनिल गावशिंदे एवं श्री प्रभात गावशिंदे पिता स्व. श्री सुनिल गावशिंदे के नाम नामांतरित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 31 / 03 / 2004 को पंजीकृत है। श्रीमती संध्या एवं श्री प्रभात गावशिंदे से उक्त संपत्ति श्रीमती ममता पति श्री राजेश कुमार तिवारी ने क्रय कर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 29 / 03 / 2025 को अपने पक्ष में करा लिया है।

क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन शपथ पत्र / संयुक्त शपथ पत्र / विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती ममता पति श्री राजेश कुमार तिवारी की ओर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तिय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही कि जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र.गृ.नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल, संभाग खंडवा

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)
क्रमांक INDLP11042543076/दिनांक 22/May/2025
क्र./1671 दिनांक 20/May/2025

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपांतरण की दशा में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (MEHUL BATRA) – Name :– M/s. B.&H. Developers Tarfe Partner Add :– 1 Shikharji Dreamz Village – Arandiya Tarfe Partners Mehul S/o. Shri Narendra Batra Add :– F.H.392, Scheme No. 54, Indore (M.P.) द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है :–

(क) परियोजना का नाम :– SHIKHARJI DREAMZ EXTENSION
(ख) अवस्थिति (अवस्थिति / ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक):– पूर्व स्वीकृत ग्राम Arandiya तहसील Kanadiya व जिला Indore की भूमि सर्वे क्रमांक/खसरा क्रमांक 176/2/2, 24/1, 8/4/3 कुल रकबा 1.618618 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL, RESIDENTIAL PLOT–PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है।
(ग) विकास का प्रयोजन :– RESIDENTIAL, RESIDENTIAL PLOT–PLOTTED HOUSING
(घ) स्वीकृति क्रमांक :– INDLP230222022 दिनांक 2022–07–25
पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता है, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति /संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/Objection.aspx?RefApp=mMX9s5eqQ11671 पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://dtcp.mp.gov.in/alpass/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

प्र.क्र./460797
नग्रानि/Indore
दिनांक 22 May 2025

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर (म.प्र.)

SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED
CIN : L55209MP2018PLC076125
Regd. Office : H-1, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh, India - 452010
Tel. No.: 0731-4006666, Email Id: cs@shilindore.com, Website : www.shilindore.com

Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2025

(₹ in Lakhs except figures of EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operation (Net)	2951.13	2728.70	10567.72	9617.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	500.93	523.21	1342.40	933.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	500.93	523.21	1342.40	933.33
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	442.79	484.69	1057.11	718.41
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	440.28	478.22	1036.99	694.92
6	Equity Share Capital	304.66	304.66	304.66	304.66
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic:	14.54	15.91	34.70	23.58
	Diluted:	14.54	15.91	34.70	23.58

Notes : The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2025 are available on the website of Stock Exchange at **www.bseindia.com** and Company's website at **www.shilindore.com** and the same can be accessed by scanning the QR Code attached below.

Place : **Indore**
Date : **23.05.2025**

By the Order of the Board
For **Sayaji Hotels (Indore) Limited**
Sd/-
T. N. Unni, Chairman